

## जय माता दी

किस्म दस्तावेज  
भूमि का प्रकार  
वार्ड/परगना  
मौहल्ला/ग्राम

बैनामा  
आवासीय भूखण्ड  
सदर तहसील आगरा  
कैलाश रेजीडेन्सी फेस-द्वितीय मौजा बरौली अहीर  
तहसील व जिला आगरा।

सम्पत्ति का विवरण

भूखण्ड सख्या 48,  
खसरा सख्या 185 से 188 व 190

सम्पत्ति का क्षेत्रफल  
मापन की इकाई  
सडक की स्थिति  
अन्य विवरण

85.59 वर्ग मीटर।

वर्ग मीटर।

रास्ता 7.5 मीटर चौड़ा।

विकीत भूखण्ड कार्नर व दो रास्ते का नहीं है व पार्क के सामने  
स्थित होने के कारण निर्धारित दर का 10 प्रतिशत अतिरिक्त  
मूल्यांकन करते हुये स्टाम्प अदा किया गया है तथा किसी  
प्रकार का कोई निर्माण नहीं है।

प्रतिफल की धनराशि  
सरकारी कीमत  
सर्किल रेट

6,60,000/-रुपया।

6,60,000/-रुपया।

7,000/-रुपया प्रति वर्ग मीटर।

जो पृष्ठ सख्या 37 पर अंकित है।

स्टाम्प

46,200/-रुपया।

सीमायें

—

पूरब  
पश्चिम  
उत्तर  
दक्षिण

भूखण्ड सख्या 49

भूखण्ड सख्या 47

रास्ता 7.5 मीटर चौड़ा वादहू पार्क

जमीन दीगर

हमकि—

इन्द्रप्रस्थ आशियाना प्रा. लि. कार्यालय सी-37 कमला नगर आगरा द्वारा निदेशक श्री राकेश  
कोहली पुत्र श्री चन्द्र मोहन कोहली निवासी- 3 विश्वकर्मा ग्रीन बोदला तहसील व जिला  
आगरा।— विक्रेता प्रथम पक्ष। पैन नम्बर-AABCI6027P

एवं

राजेश कुमार कुलश्रेष्ठ पुत्र स्व० श्री एस.एन. लाल नि०- 127 अरविन्द पुरम फेस-प्रथम सिकन्दरा  
तहसील व जिला आगरा।— क्रेता द्वितीय पक्ष। पैन नम्बर-AKBPK0895J

जो कि एक किता भूखण्ड संख्या 48 व तादात 102.37 वर्ग गज यानि 85.59 वर्ग मीटर पैमाइशी पूरब से पश्चिम 19 फुट 6 इंच व उत्तर से दक्षिण 47 फुट 3 इंच मिनजुमला खसरा संख्या 185 से 188 व 190 वाकै कैलाश रेजीडेन्सी फेस-द्वितीय मौजा बरौली अहीर तहसील व जिला आगरा। जो साथ लगे नक्शे मे व रंग लाल से स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

विदित हो कि उपरोक्त विकीत भूखण्ड को प्रथम पक्ष विक्रेता ने वसमूल दीगर भूखण्डो के वजरिये बैनामा रजिस्टरी सुदा नविशता श्रीमती रंजना अग्रवाल व श्री राजीव अग्रवाल से दिनांक 28/07/2010 ई0 को खरीद किया, जिसकी रजिस्टरी कार्यालय सब रजिस्टार आगरा मे वहीं नम्बर एक जिल्द 3278 पृष्ठ 215/266 नम्बर दस्तावेज 7266 पर दर्ज रजिस्टर हुई के खरीद किया, और वाद खरीदारी के प्रथम पक्ष कम्पनी उक्त भूखण्ड की एक मात्र मालिक काविज व दखील चली आती है, तथा कॉलौनी का विन्यास मानचित्र आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा फाईल संख्या 1387/बी.एस.टी./2/05-06 के स्वीकृत है। अन्य कोई दीगर हकदार व हिस्सेदार किसी प्रकार का उक्त भूखण्ड में नहीं है कि जो माने किसी प्रकार के इंतकाल वगैरा का होवे और उपरोक्त भूखण्ड मजकूर आज तक हर प्रकार के कर्जे व वार व भार व वैय हिवा विक्रय व मुआहिदा वैय एक्क्यूटेविल मोरगेज व समस्त प्रकार की देनदारियों व जिम्मेदारियों से कतई पाक व साफ है, और अन्य किसी दीगर व्यक्ति के हक मे कोई इकरारनामा आदि नहीं किया है, अब प्रथम पक्ष को उक्त भूखण्ड का विक्रय करना वास्ते जरूरत व मिलने माकूल कीमत के स्वीकार है। जिसकी केता द्वितीय पक्ष उचित व काविज कीमत अदा कर कर्य करने को रजांमद है।

लिहाजा मै प्रथम पक्ष वहैसियत निदेशक उक्त कम्पनी के अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व बिना किसी दबाव नाजायज के स्वस्थ चित्त मन बुद्धि व इद्रियो के उपरोक्त भूखण्ड संख्या 48 व तादात 85.59 वर्ग मीटर कुल को साथ तमाम हक हकूक व दाखिली खरिजी के मय गुडटाईटिल के व एवंज मुवलिंग 6,60,000/-छ लाख साठ हजार रुपया के आधे जिनके मुवलिंग 3,30,000/-तीन लाख तीस हजार रुपया होते है। मे वदस्त राजेश कुमार कुलश्रेष्ठ पुत्र स्व0 श्री एस.एन. लाल नि0- 127 अरविन्द पुरम फेस-प्रथम सिकन्दरा तहसील व जिला आगरा केता द्वितीय पक्ष के वैय कतई किया और बेच दिया और कीमत कुल धन मुवलिंग 6,60,000/-रुपया द्वारा चेक संख्या 402373 दिनांक 15/06/2016 ई जो पंजाब नेशनल बैंकशाखा दयालबाग आगरा का है के द्वारा प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार अब प्रथम पक्ष विक्रेता का केता द्वितीय पक्ष से कीमत मे कुछ भी पाना बांकी नहीं रहा है और न आयंदा होगा।

लिहाजा कब्जा व दखल भूखण्ड विकीत पर प्रथम पक्ष विक्रेता ने वहैसियत स्वामी के केता द्वितीय पक्ष का करा दिया और मालिक व काविज व दखील बना दिया, अब द्वितीय पक्ष को पूर्ण हक व अधिकार है, कि वह विकीत भूखण्ड से वहैसियत स्वामी के चाहे जिस प्रकार लाभांवित होवे व निर्माण करावे व खुद आबाद हो या किराये पर उठावे या रहन व वैय वगैरा जो चाहे सो करे तथा अपने नाम का नामांकन वजरिये बैनामा हाजा सम्बंधित विभाग मे दर्ज कराले, इसमे प्रथम पक्ष को कोई उज्र न होगा।

अगर भविष्य मे कोई दीगर व्यक्ति या कम्पनी का कोई पदाधिकारी किसी प्रकार का दावा व झगडा केता द्वितीय पक्ष से उक्त भूखण्ड की बावत करे या उसके स्वामित्व व कब्जे मे बाधा डाले या वजह दावेदारी या किसी दीगर वजह से कब्जा जुज व कुल द्वितीय पक्ष से निकल जावे या टाईटिल मे कानूनी कमी पाई जावे तो उस कुल की जबावदेही व जिम्मेदारीहर किस्म विक्रेता प्रथम पक्ष कम्पनी व कायम मुकामान उसके की है और आयंदा होगी।

उपरोक्त भूखण्ड मजकूर नजूल या राजकीय आस्थान की सम्पत्ति नहीं है और न किसी वाद मे अतिरिक्त रिक्त भूमि धोषित किया गया है और न ही उसका मुआवजा प्राप्त किया है। महानिरीक्षक उपनिबंधक उ० प्र० के आदेशानुसार भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 ;1; के अन्तर्गत वह सभी तथ्य व परिस्थितियों जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकती है तत्परता पूर्वक अंकित की गया है।

इस बैनामा का प्रस्तुतीकरण लक्ष्मण प्रसाद मित्तल पुत्र श्री राम जी लाल मित्तल निवासी- बोदला आगरा द्वारा वहैसियत मुख्तारेआम मुख्तारनामा आम रजिस्टरी सुदा दिनांक 30-07-2007 ई० नम्बर दस्तावेज 260 पर उपनिबंधक द्वितीय के यहाँ पर दर्ज हुआ है।  
लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें तहरीर तारीख 06/07/2018 ई० व मसौदा जगदीश प्रसाद मंगल एडवोकेट सिविल कोर्ट आगरा व टाईप प्रदीप कुमार आगरा। दस्तावेज पक्षकारान के निर्देशानुसार व कथनानुसार तहरीर किया गया है